भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-09/2017-18

श्री सरदार श्रवण सिंह **बनाम** अंचल अधिकारी गम्हरिया एवं अन्य

आदेश

03-07-18

यह अपील वाद श्री सरदार श्रवण सिंह पिता करम सिंह निवासी- निर्मल पथ, छोटा गम्हरिया, पो0-गम्हरिया, थाना-गम्हरिया जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा नामांतरण वाद सं0- 14R27/17-18 में दिनांक 29.04.2017 को पारित आदेश विरुद्ध दायर किये है।

अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया तथा निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख की मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

अपीलार्थी के अनुसार अपीलार्थी द्वारा मौजा छोटा गम्हरिया, थाना नं0-67 के अन्तर्गत खतियानी एवं पंजी-II के रेकार्डयुक्त भूमि स्वामी कैलाश महतो उत्तरवादी से विधिवत निबंधित बिक्री केवाला 374 दिनांक 05.02.1982 के माध्यम से खरीद कर प्रश्नगत भूमि खाता नं0 23 प्लॉट नं0 945 रकवा 1 कट्ठा 16 धूर पर शांतिपूर्ण दखलकार है।

उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने नामांतरण नियम एवं प्रक्रिया का पालन करने में नामांतरण वाद 14R27/17-18 में असफल रहे है, जिसमें जमीन बिक्रेता द्वारा वर्ष 1982 में ही भूमि का विधिवत अन्तरण किये है। विक्रेता भूमि स्वामी उत्तरवादी कैलाश महतो इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद या हस्तक्षेप नहीं किया है। इस प्रकार 35 वर्षो तक लगातार दखल में रहने के कारण अपीलार्थी का Adverse Possession के तहत स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त हुआ है एवं नामांतरण के माध्यम से मात्र लगान वसूली देना है।

उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय में विक्री केवाला वैद्यता का परीक्षण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए लगातार 35 वर्षो तक लगातार दखल से नियमित स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो चुका है। इसलिए अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0 14R27/17-18 में दिनांक 29.04.17 को पारित आदेश निरस्त योग्य है।

उपर्युक्त तर्को एवं संबंधित अभिलेख तथा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता कैलाश महतो की जाति कुर्मी है, जो सी0एन0टी0 एक्ट के अन्तर्गत आता है, उन्होंने धारा 46(बी.) के तहत सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर बिक्री नहीं किया है जिससे इसकी उल्लंघन को आकर्षित करता है।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0- 14R27/17-18 में दिनांक 29.04.17 को पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत होता है। किसी प्रकार नियम एवं प्रक्रिया का अवहेलना नहीं किये है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

लेखापित

03/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

03/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।